Title: Demand to fix a time limit for sending the fund utilisation certificate by the District Magistrate fro sanction of grant under the Rural Development Schemes.

श्रीमती रेनु कुमारी : उपाध्यक्ष महोद्य, केन्द्र सरकार ने उप्योगिता प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण बिहार के तमाम जिलों के ग्रामीण विकास योजनाओं की केन्द्रीय सहायता राशि रोक दी है। सूत्रों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा उप्योगिता प्रमाण-पत्र के कारण रोकी गई राशि 100 करोड़ रुप्ये से अधिक है। मैं यह कहना चाहती हूं कि बिहार में वैसे ही विकास की गति बहुत धीमी है। अगर यह केन्द्रीय सहायता नहीं मिली तो बिहार में विकास की संभावना अवरुद्ध हो जायेगी। जहां तक उप्योगिता प्रमाण-पत्र की बात है तो वहां के जिलाधिकारी और उपविकास आयुक्त को वैसे भी मालूम नहीं रहता कि कब उप्योगिता प्रमाण-पत्र दें जिससे केन्द्रीय सरकार राशि भेजे।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि वह एक समय सीमा निर्धारित कर दे और उस समय सीमा के अंदर ही जिले से उप्योगिता प्रमाण-पत्र भेजा जाये। अगर समय सीमा के अंदर उप्योगिता प्रमाण-पत्र नहीं आता है तो ऐसे जिलाधिकारी और उपविकास आयुक्त के विरूद्ध केन्द्र सरकार कार्रवाई करे। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि मेरी आवाज केवल पेपर में ही छपकर न रह जाये बल्कि संबंधित मंत्री जो भी कार्रवाई करें, उसकी सूचना संबंधित सदस्य को भी दें कि उन्होंने जिले में यह कार्रवाई की है।...(*Interruptions*)